



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243318)



पत्रांक:- 06 / कर अनु0 / 2025-26

दिनांक- 01.04.2026

"ई-निविदा सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग/यूनिपोल शुल्क वसूली हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचनाएं उत्तराखण्ड शासन के वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> एवं नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर अवलोकित की जा सकती है तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> से डाउनलोड एवं भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी कर अनुभाग के कक्ष संख्या 09 से किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है, विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	02.04.2026	11:00 AM
2	Documents download start date	02.04.2026	11:00 AM
3	Bid submission start date	02.04.2026	11:00 AM
4	Bid submission End date	15.04.2026	05:00 PM
5	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	16.04.2026	01:00 PM
6	Bid Opening Date	16.04.2026	03:00 PM

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र 31/4/2026 एवं उत्तरांचल दर्पण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई-निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 02.04.2026 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

(रुणदीप)

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में यूनियोपल/होर्डिंग लगाने हेतु ई-निविदा (2026-28) की शर्तें एवं प्रावधान:-

1. विज्ञापन पट्ट होर्डिंग/यूनियोपल लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि 2,20,39,063.00/- (रु० दो करोड़ बीस लाख उनतालीस हजार तिरसठ रु० मात्र) एवं जिस पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० रु० 39,67,031.00 सहित कुल धनराशि 2,60,06,094.00 (रु० दो करोड़ साठ लाख छः हजार चौरानबे रु० मात्र) 02 वर्ष तक के लिए निर्धारित है।
3. सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी को समय-समय पर जारी मा० न्यायालय/उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन ऊधमसिंह नगर/नगर निगम के आदेश का अनुपालन करना होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी यूनियोपल/होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में यूनियोपल/होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित स्व-सत्यापित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - A. जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - B. किसी सरकारी, अर्धसरकारी विभाग में होर्डिंग/यूनियोपल से संबंधित कार्य को संतोषजनक रूप से सम्पादित किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - C. विगत 05 वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों (वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - D. विगत 05 वर्षों में से (वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) किन्ही 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र (UDIN न० सहित) रु० 1,00,00,000.00 (रु० एक करोड़ मात्र) प्रतिवर्ष से कम न हो।
- अथवा
- E. सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) द्वारा निर्गत रु० 1,00,00,000.00 (रु० एक करोड़ मात्र) नवीनतम हैसियत प्रमाण।
- F. निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है। इस संबंध में दोनों शपथ पत्र अलग-अलग स्टाम्प पेपर पर देने होंगे।
6. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
7. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी०एस०टी० सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (M2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. यूनियोपल/होर्डिंग हाईटेन्शन लाईन से उचित दूरी पर लगाये जायेंगे, इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदादाता/फर्म का होगा। इस सन्दर्भ में विद्युत विभाग के नियमों का पालन करना होगा।

10. यूनियोल/होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
11. यूनियोल का अधिकतम साईज 6.0मी0X3.0मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी0 से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनियोल चिन्हित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनियोल नहीं लगाये जायेंगे।
12. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03(तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। ठेकेदार को कार्यदेश अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण किये जोन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
13. यूनियोल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
14. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने वाले ना हो एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
15. निविदादाता द्वारा निगम हेतु 04 यूनियोल एवं 04 होर्डिंग आरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर निगम को विज्ञापन लगाये जाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 03 प्रतिशत जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0 एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
17. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात् ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
18. प्रत्येक यूनियोल/होर्डिंग में 01 यूनिक कोड संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा जो कि 01 से अन्तिम संख्या तक लिखा जायेगा। अन्य स्थानों पर एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु नगर आयुक्त, द्वारा पृथक से अनुमति दी जायेगी, तथा शुल्क नगर निगम, द्वारा लिया जायेगा।
19. यूनियोल/होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
20. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेंटिंग, बिजली के खंभों पर लगे अवैध पोल व्थोरक व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।
21. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
22. सभी यूनियोल/होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।
23. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे, और 02 पोल से अधिक नहीं होंगे तथा सक्षम तकनीकी अधिकारी की निगरानी में लगवाए जाएंगे। निविदादाता की लापरवाही से यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
24. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी0 से अधिक नहीं होगी।

Skumar

25. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
26. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली-भांति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
27. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे। गंदगी पाए जाने की स्थिति में सुसंगत नियमों के तहत कार्य
28. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
29. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी0पी0पी0 मोड़ में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्तें लागू नहीं होगी।
30. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
31. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में एवं यूनीपोल घटाये - बढ़ाये जाने की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
32. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- दूसरी बार में ₹0 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
33. **स्क्रेप की नीलामी**- नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहे वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड्डंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रेप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
34. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर(उत्तराखण्ड) के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
35. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय(जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-

- (क) निविदा दरें निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनपेक्षित या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर


3.	पुरानी तहसील के सामने (संत दया सिंह द्वार के निकट)	01	20X10
C	काशीपुर-किच्छा मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	चीमा अस्पताल से पहले।	01	20X10
2.	इम्पीरियल ग्रीन्स कालोनी के गेट के दांये एवं बाये छोर पर।	02	20X10
3.	मण्डी समिति गेट से पहले (भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने)।	01	20X10
4.	अग्निहोत्री इन्जिनियरिंग के गेट के बगल में।	01	20X10
5.	के०एल०ए० राइस मिल के सामने।	01	20X10
6.	विपिन राइस मिल के सामने (दूधिया बाबा मंदिर के सामने पहाड़गंज प्रवेश मार्ग पर)।	01	20X10
7.	गल्ला मण्डी प्रवेश द्वार डिवाइडर पर। (गौरव ट्रेडिंग कम्पनी के सामने)	01	20X10
8.	मेडिसिटी के सामने नाले से संलग्न भूमि।	01	20X10
9.	ट्रेडिंग ग्राउण्ड में ट्रॉमल मशीन के बराबर में।	01	20X10
10.	इन्द्रा चौक के निकट नाले से संलग्न भूतबंगला रोड पर	01	20X10
D	नैनीताल रोड पर (NH-87)		
1.	दिल्ली रामपुर रोड पर ट्रेनिंग सेन्टर मोड़ पर।	01	20X10
2.	दिल्ली रामपुर रोड पर डाइट संस्थान गेट के पास।	01	20X10
3.	मैट्रोपोलिस से बिग बाजार तक।	06	20X10
4.	मैट्रोपोलिस-ओमेक्स रोड डिवाइडर पर।	05	20X10
5.	शिडकुल गेट नं० 02 के सामने।	02	20X10
6.	मटकोटा फार्म से संलग्न भूमि पर।	05	20X10
7.	श्रीत दिहार मार्ग के सामने हाईवे के दूसरी तरफ।	01	20X10
8.	पुलिस लाइन से संलग्न पेट्रोल पम्प से क्लैक्टेड होत हुए मैट्रोपोलिस गोल के सामने तक।	07	20X10
9.	शिडकुल गेट नं० 01 (भार्ले चौक के सामने रोड के पास)	02	20X10
10.	हल्द्वानी मोड़ से टाटा मोटर्स के गेट तक (हल्द्वानी रोड)	03	20X10
E	धत्तारपुर मोड़ से अशोक लिसेण्ड तक डिवाइडर पर (दिनेशपुर रोड)	03	


F	सिविल लाइन्स, डी1डी1		
1.	नैनीताल रोड़ से सिविल लाइन्स प्रवेश द्वार डिवाइडर पर।	01	20X10
2.	वी मार्ट शोरूम के सामने डिवाइडर पर	01	20X10
3.	सन सिटी प्लाजा के सामने डिवाइडर पर।	01	20X10
4.	बंसल ज्वैलर्स के सामने अग्रसेन चौक से आगे डिवाइडर पर।	01	20X10
G	अग्रसेन चौक से गांधी पार्क के सामने से होकर बाटा चौक रोड पर		
1.	बाटा चौक के निकट अम्बेडकर पार्क के पास।	01	20X10
2.	रुद्रा फोटो स्टेट/श्री मारुति कोरियर के सामने ट्रांसफार्मर के निकट।	01	20X10
3.	अग्रसेन चौक गांधी पार्क के दक्षिणी छोर पर (जनता इलेक्ट्रीकल/एच0डी0एफ0सी0 ए0टी0एम0 के सामने डिवाइडर पर)।	01	20X10
	कुल योग	71	


होर्डिंग हेतु चयनित स्थल


क्र.सं.	होर्डिंग स्थल	संख्या	साइज (sq.ft.)
A	किच्छा-काशीपुर बाईपास रोड़ पर		
1.	फायर स्टेशन से गैस गोदाम तक।	05	20X10
2.	पुरानी तहसील के बाहर।	02	20X10
3.	शिवनगर मोड़।	03	20X10
4.	पुरानी तहसील से तीन पानी मोड़ तक।	08	20X10
B	काशीपुर-किच्छा मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	इन्द्रा चौक एस.बी.आई.	06	20X10
2.	काशीपुर मेन रोड़ बिजली घर से नवोदय विद्यालय तक	02	20X10
C	नैनीताल रोड़ पर (NH-87)		


1.	कंचन तारा होटल रोड़ मोड़ शिशु मन्दिर के पास	01	20X10
2.	अंगद देव कॉम्प्लैक्स सिविल लाइन	04	20X10
3.	पी0ए0सी0 गेट न0 01 से नगर निगम, रूद्रपुर स्वागत द्वार तक	10	20X10
4.	अटरिया रोड़ पर नाले से लगी भूमि पर	05	20X10
5.	नैनीताल रोड़ पर मेट्रोपोलिस मोड़ के पास	04	20X10
6.	नैनीताल रोड़ पर मेट्रोपोलिस से बिग बाजार तक	05	20X10
7.	नैनीताल रोड़ पर बिग बाजार के सामने पूर्व दिशा में	10	20X10
8.	मेट्रोपोलिस कालोनी गेट नं0 03 के सामने	04	20X10
9.	ओमेक्स कालोनी गेट के सामने	04	20X10
10.	सिड़कुल गेट नं0 01 के पास	02	20X10
11.	सिड़कुल चौकी सहायता केन्द्र से महादेव मन्दिर	02	20X10
12.	सिड़कुल गेट नं0 02 के पास	02	20X10
D	छत्तरपुर मोड़ टी-पाइन्ट के पास	02	20X10
	कुल योग	81	


 प्र0कर अधीक्षक
 नगर निगम, रूद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 सहायक नगर आयुक्त
 नगर निगम, रूद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 वरिष्ठ वित्त अधिकारी
 नगर निगम, रूद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, रूद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 महापौर
 नगर निगम, रूद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर